2010 का विधेयक संख्यांक 37

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह 16 नवम्बर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 11 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में "और उपाध्यक्ष" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 22 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 22 के प्रथम परन्तुक में "और उपाध्यक्ष" शब्दों का लोप किया जाएगा।

2010 के अध्यादेश संख्यांक 9 का निरसन और व्यावृत्तियां।

4. (1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शहरी स्थानीय निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) के उपबन्धों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से संचालित किए जाते हैं। अब पंचायती राज संस्थाओं की पद्धति पर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन नगरपालिका अधिनियम, 1994 के संशोधित उपबन्धों के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से संचालित करवाए जाएंगे । पूर्वोक्त अधिनियम के संशोधित उपबन्धों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद आरक्षित किए जाने है। यह भी अनिवार्य समझा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं की पद्धति पर, आरक्षण केवल अध्यक्ष के पद की दशा में ही लागू होगा और उपाध्यक्ष का पद आरक्षण की परिधि से बाहर रखा जाएगा। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था इसलिए, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 9) 12 नवम्बर, 2010 को प्रख्यापित किया गया जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 16 नवम्बर 2010 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बिना उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

महेन्द्र सिंह,
प्रभारी मन्त्री।

धर्मशालाः
तारीखः————————2010

———————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 37 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (SECOND AMENDMENT) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty -first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commence-ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Second Amendment) Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 16th day of November, 2010.

Amendment of section 11.

2. In section 11 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section(1), in first proviso, the words and sign "and Vice-President" shall be omitted.

Amendment of section 22.

3. In section 22 of the principal Act, in first proviso, the words and sign "and Vice-President" shall be omitted.

Repeal of H.P. Ordinance No. 9 of 2010 and savings.

4. (1) The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2010 is hereby repealed.

(2) Notwith standing such repeal, any action taken or any thing done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been taken or done under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The election of President and Vice-President in the Urban Local Bodies are conducted indirectly according to the provision of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994). On the analogy of Panchayti Raj Institutions, the election of President and Vice-President will now be conducted directly according to the amended provision of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994. As per amended provisions of the Act ibid, the reservation has to be given to the office of President and Vice- President in the Urban Local Bodies. It has also been considered essential that on the analogy of Panchayti Raj Department, the reservation should be applied only in the case of office of President and office of Vice-President should be kept out of the perview of reservation. Thus, it has been decided to amend the Act *ibid* suitably.

Since, the Legislative Assembly was not in session and amendments in the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 9 of 2010) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 12th November, 2010, which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 16th November, 2010. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular legislation.

This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

MAHENDER SINGH,
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA:
Dated ……, 2010.